

विक्रय मूल्य - /- रु०
 मालियत - /-रु०
 स्टाम्प - /-रु०
 ई स्टाम्प प्रमाण-पत्र सं० IN-UP V
 दिनोंक
 दर प्रति वर्ग मीटर - /-रुपया
 विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है

लेखपत्र का विवरण-विक्रय-पत्र

1-सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय प्लॉट
 2-परगना : निगोहों
 3-ग्राम : शेरपुर लवल
 4-विक्रीत गाटा संख्या : खसरा सं०
 वर्ग मीटर
 5-विक्रीत कुल क्षेत्रफल
 6-लखनऊ रायबरेली मार्ग : 01 कि०मी०, रेलवे स्टेशन से 03 कि०मी०
 7-प्रतिफल की धनराशि : /- भुगतान का
 विवरण आगे दिया गया है

विक्रय शुदा प्लॉट सं० बी 155 की चौहद्दी

पूरब : प्लॉट सं०
 पश्चिम : रास्ता 31 फिट
 उत्तर : प्लॉट सं०
 दक्षिण : प्लॉट सं०

प्रथम पक्ष की सं० -1 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष की सं० -1 क्रेता का विवरण
MO- PAN- AA xxxxx xxxxx	Mo- AA- xxxxx xxxxx PAN-

भूमि खसरा सं० -रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम शेरपुर लवल परगना निगोहों तहसील मोहनलातगंज जिला लखनऊ की है, जिसका प्रथम पक्ष/विक्रेता मालिक जम्बिज है, प्लॉट पर बंगिंग पेंड व इमारत आदि नहीं हैं, जो आज तक हर प्रकार के विवादों भाग्य रहने बसक, इकरार, कुर्की जमानत, हिदा आदि से पूर्णतया बरी व प्राक साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष/विक्रेता को प्राप्त है अतः प्रथम पक्ष/विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी जबर दबाव नाजायज के बजरूरत होशों हवास में उपरोक्त भूमि को मे द्वितीय पक्ष/क्रेता के हक में विक्रय कर सम्पूर्ण धनराशि प्रथम पक्ष/विक्रेता ने द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त से प्राप्त कर कब्जा व दखल मालिकाना अपने सम्मान प्रथम पक्ष/विक्रेता ने द्वितीय पक्ष/क्रेता को करा दिया। आज की तारीख के बाद से प्रथम पक्ष/विक्रेता या उनके किसी वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत प्लॉट या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार से बाकी नहीं रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रीत प्लॉट या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त से अपना हक जमावे या दावा करे तो दावा उसका इस बयानना के सम्बन्ध विरुद्ध नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या लज्जदारी या हकदारी से विक्रीत प्लॉट का कुल या कुछ भाग द्वितीय

पक्ष/क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न मिले, किन्तु यह पक्ष/क्रेता को हक नहीं देता कि वह प्रथम पक्ष/विक्रेता की करार न पायी जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त प्लॉट के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त को हक न अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित प्रथम पक्ष/विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम की को कोई मुकाम उज का न होमा, अब आज की तारीख से द्वितीय पक्ष/क्रेता को अधिकार होगा कि उक्त प्लॉट राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

[1] किया गया प्लॉट राष्ट्रीय, जनपदीय मार्ग के किनारे नहीं है। पक्षकार से पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाखा पर प्रमाणित है क्रेता द्वारा आवासीय निर्माण किया जायेगा किन्तु विक्रय किये गये प्लॉट पर कब्जा कम्पनी प्रथम पक्ष द्वारा विकसित करने के पश्चात ही कब्जा क्रेता को दिया जायेगा। पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय-पत्र तैयार किया गया किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईप कर्ता व मसविदा कर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। विक्रय किए गये प्लॉट का विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए विक्रय मूल्य पर स्टैम्प निश्चित दर से दिया गया है। विक्रय किया गया प्लॉट विक्रेता की क्रय शुदा सम्पत्ति है जिसे विक्रेता ने से क्रय किया था सम्बन्धित दस्तावेज उप निबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज जिला लखनऊ में निम्न विवरण पर अंकित है

दिनांक	बही सं०	जिल्द सं०	पृष्ठ सं०	क्रमांक

भुगतान का विवरण

भुगतान का प्रकार	दिनांक	धनराशि
------------------	--------	--------

अतएव यह विक्रय -पत्र स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह व पूर्ण हवाश में लिख दिया कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।

दिनांक :

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष/विक्रेता

गवाहान

[1]

[2]

हस्ताक्षर दिनांक पक्ष/क्रेता

टाईपकर्ता

मसविदाकर्ता

प्रमोद कुमार

एडवाकर